(139)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1467–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–2–2017 पारित द्वारा नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 61/15–16/अ–12

फूलसिंह पुत्र श्री बालचन्द्र
निवासी ग्राम खारपी तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....आवेदक

विरूद्ध

1–गेंदालाल पुत्र श्री बालचंद्र
2–पहलवान सिंह पुत्र श्री किशोरीलाल
निवासी ग्राम खारपी तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....अनावेदकगण

श्री राजेश आर्य, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0के0तिवारी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष उसके स्वत्व व स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 383 रकबा 0.800 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक

61/15–16/अ–12 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–2–2017 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । नायब तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है व उसके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । यह भी कहा गया कि सीमांकन की कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को भी सूचना नहीं दी गई है जबकि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत पडोसी कृषकों सूचना दिया जाना आवश्यक है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है । उनके द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कब्जा दिलाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक को दिलाया जा चुका है और वर्तमान में उनका कब्जा है ।

(2) आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में स्वत्व घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा सुविधा संतुलन अनावेदक के पक्ष में पाया गया है और कब्जा भी अनावेदकगण का मान्य किया है ।

(3) राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन स्थायी सीमा चिन्हों से किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान् अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभिलिखित मेड़

पड़ोसी भूमिस्वामी नहीं है, आवेदक ने स्वयं यह स्वीकार किया है । अतः उसे सूचना दी जाना आवश्यक नहीं था । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न पंचनामे के अनुसार वह सीमांकन के समय नजदीक में ही उपस्थित भी था । अतः तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन विधिवत् होकर उसमें कोई त्रुटि नहीं हुई है इसलिये नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–2–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर